बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0–15/आरोप (भोजपुर) 02–41/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना के पत्रांक–545 / चक०, दिनांक–30.04.2025 के द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर के विरूद्ध परमीशन वाद संख्या 343, 344, 345 एवं 527 सभी वर्ष 2024–25 में भूमि विक्री हेतु परवाना विहित प्रक्रिया के तहत निर्गत नहीं करने, बिना अमीन के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ही परवाना निर्गत करने, राजस्व की क्षति, परमीशन वाद में आम सूचनाओं का तामिला कार्यालय परिचारी द्वारा विधिवत् नहीं कराने, अमीन का जाली हस्ताक्षर कर जॉच प्रतिवेदन तैयार करवाकर परवाना निर्गत करने, बिना समुचित जॉच के परवाना निर्गत करने, भू–माफियों से सॉठ–गाँठ कर पैसे की वसूली कर परमीशन निर्गत करने, परमीशन वाद संख्या 168/2024–25 में उल्लेखित खेसरों से संबंधित स्वत्त्व वाद सं० 48/2024–25, 35/2023, 442/2022 में न्यायालय में लंबित रहने की सूचना देने के वाबजूद परमीशन वाद विपक्षी को निर्गत करने एवं कार्यालय में उपस्थिति दर्ज नही करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–941(15) दिनांक–10.06.2024 से लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री कुमार के चकबंदी कार्यालय, जगदीशपुर, भोजपुर के पत्रांक–70 दिनांक–23.06.2025 से अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **अपर समाहर्त्ता, भोजपुर** को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जगदीशपुर, भोजपुर** को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्त्ता, भोजपुर/अपर समाहर्त्ता, भोजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जगदीशपुर, भोजपुर/श्री सुनील कुमार, तत्कालीन प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, बिहियाँ **सम्प्रति चकबंदी पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_Jiten\Departmental Proceeding (Sankalp)_2026\Sunil kumar_Chakbandi Padhi_(Bihiya_bhojpur).doc

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–41/2025–.........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, भोजपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जगदीशपुर, भोजपुर/श्री सुनील कुमार, चकबंदी पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–41/2025–...........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–........................

स्पीड–पोस्ट

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, भोजपुर को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही **अविलम्ब** प्रारम्भ करते हुए जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में 06 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0– आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भोजपुर) 02–41/2025–.....570.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–15.4.26

प्रतिलिपिः– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (**वै0दा0नि0को0**) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति**)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/4/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।